

## प्रजातंत्र में हम और वे

प्रो. जगत एस. मेहता

स्वतंत्रता के पश्चात भारत की संविधान सभा ने इस देश में जनतीय व्यवस्था की स्थापना कर स्वतंत्रता के लिए संरणीयता और समर्पित महापुरुषों को सही अर्थ में श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जैसे महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत का सपना देखा था। गांधी जी ने एक बार कहा भी था कि “मेरे सामने का भारत” वह भारत होगा जिसमें एक गर्व से गर्व व्यक्त यह महसूस करें कि यह उसका देश है और उसके भारव निर्माण में वह भी समान रूप से भागीदार है। एक ऐसा भारत जिसमें उच्च और निम्न वर्ग में भेट नहीं होगा। छुआछूत का कोई स्थान नहीं होगा। महिलाएं भी पुरुषों के समान ही अधिकारों जा उपयोग करेंगी...”

हमारे देश में एक संविधान लागू हुआ और उसी के अंतर्गत 12 आम चुनाव हुए। ये चुनाव केवल केंद्रीय संसद के लिए ही नहीं अपितु पंचायत जैसी धरातल की संस्थाओं के भी विधिवत चुनाव संपन्न कराए गए। सन् 1952 में लेकिन 2001 तक जितनी भी सरकारें चाहे केंद्र हो अथवा भारतीय संघ के बटक राज्य उनकी सरकारे मलटाता के मताधिकार पर ही नुमा गई। इससे यह तो ज्ञात हुआ कि भारत की जनता ने यह चार इस शासन ग्राफाली में विश्वास अभिव्यक्त किया। और यदि यह कहें कि उनकी आशा और आकांक्षाओं के विपरीत नीतियों, कार्यों शासकों की कार्यशालीता तथा उन समस्याओं को अवहेलना के उपर्युक्त ही समाज के बहुत बढ़े

उबके ने इस व्यवस्था को चलायमान रखने में वैर्यता व सहनशीलता का परिचय दिया तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

देश के आम आदमी ने जहाँ एक और अपने गजनीतिक कर्तव्य का निर्वाह किया वहाँ दूसरी ओर जहाँ तक उनकी मूलभूत समस्याओं का प्रश्न है उसे निस्सुद्देह निराशा ही हाथ सगी। बुनाव के बाद बुनाव हुए, सरकारें बनी और बदली लेकिन आमजन के हितों की समष्टि: अनन्देखी की गई। इसके परिणामस्वरूप जगह-जगह सत्तारूढ़ दलों की सरकारों को बदलकर मरदाना ने अपने गुप्ते का इजहार किया, वही करिपय थेवों में सामाजिक न्याय के अभाव में कितने ही समूहों ने हिंसा का सहाय लिया। देश के कई थेव लगातार अशांत और कुछ सीमा तक असाजकरा वीर स्थिति में आ गए। सामाजिक व्यवस्था अविश्वास में बदलती चली गई और व्यवस्था के संचालनकर्ता जिनमें हम राजनीतिकर्मियों और नौकरशाही को मुख्य नियंत्रा कह सकते हैं, के प्रति पूर्णतया विश्वास का संकट उपन हो गया है। देश के शिखर की राजनीति करने वाले और कानून की व्यवस्था रखने वाले की माझ बिल्कुल समाज हो गई लगती है। शायद यही कारण है कि शासन व्यवस्था स्वयं अपनी पैठ खो चुकी है। हमारी उन्नतीक व्यवस्था के आकलन के बैसे कई आधार हो सकते हैं। वर्तमान संदर्भों में व्यवस्था के आकलन के लिए एक दो बिंदुओं को मुख्य रूप से रेखांकित कर सकते हैं। पहला, तो यह कि हमारी व्यवस्था का कार्यान्वयन किस प्रकार हो रहा है। और दूसरा, यह कि क्या यह व्यवस्था संवैधानिक मानदंड अवश्य उसकी आत्मा के अनुरूप कर रही है? क्या यह सभी वर्गों, सभी लोगों अवश्य बहुमत के हित में कारगर गिरद हुई है अथवा किसी वर्ग विशेष के हितों का ही परिपोषण कर रही है? इस आकलन का आधार मेरी दृष्टि में यह भी होगा चाहिए—

जग गहराई से विचार करे तो जात होग कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था का कार्यान्वयन संविधान में निहित आदर्शों और उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हुआ है। बल्कि यो कहना चाहिए कि राजनीतिकों का व्यवहार और कर्मशाली इस व्यवस्था के निर्दिष्ट उद्देश्यों के विपरीत दिशा में कार्य करता रही है। संसद और राज्य की विधानसभा के कार्य संचालन पर हमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हर एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक प्रजातंत्र की संस्थाओं को मान मर्यादा का उल्लंघन करते देख खिन नजर आता है।

धीरे-धीरे जन साधारण में इन संस्थाओं से विश्वास उठता जा रहा है और कई अर्थों में अलगाव भी देखा जा सकता है। अब जग दूसरे प्रश्न पर गौर कर देखे तो जात होता है कि विश्वास योजनाओं का लाभ केवल मुझी भर लोगों को ही प्राप्त हुआ है या वे जो पहले से ही उसका साम अर्जित करने में सक्षम थे। सभी शिक्षा संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान और पूरी नौकरशाही का तंत्र ही व्यवस्था का दोहन करने में लगी हुई है। आमजन को विकास का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। आर्थिक स्थिति, गरीबी के नीचे का जीवन स्तर और निश्चरता के आंकड़े यही सिद्ध करते हैं कि देश के विकास के नाम छवि किया गया बन संपन्न और सक्षम लोगों के हित में छवि हुआ है। आम आदमी की स्थिति कई जगहों पर बद से बदल रही है। ऐसा लगता है जैसे विकास के थेव में अफसरों, राजनीतिकों और टेकेदारों के बीच लूट मचा हुई है। कहने का अर्थ यह कि सभूती व्यवस्था में जनमानस का बहुत छोटा भाग या वर्ग ही इससे लाभान्वित हुआ और अब तो ऐसा लगता है जैसे हमारी विकास योजनाओं का सोच प्रयास और अन्य तामङ्घाम खुयाली पुलाव है।

वर्तमान परिष्कार में यदि गण्डीय विकास के मानदंडों पर विचार करे तो वही कहना होगा कि किसी भी देश की सुरक्षा, अखंडता और उसकी जनतांत्रिक व्यवस्था वहाँ के नागरिकों के शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य का स्तर तथा मानव संसाधन के समुचित उपयोग पर निर्भर करता है। अख-शस्त्रों की शक्ति आज के विश्व में नेमानी होती जा रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का समुचित लाभ किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित न रखकर सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध हो सके यही सभूती व्यवस्था के मुख्य की गारंटी है। यह व्यवस्था इसी समझ या प्रिमाइस पर टिकी है कि यह हम सबका गृज्य है। कुछ लोगों का यही एहसास या विश्वास पांच दशकों के बाद भी विकसित नहीं हुआ है। वर्तमान में राजनीति, अर्थ एवं वित्तीय प्रबंधन का तौर तरीका तथा विकास के वैचारिक स्तर पर शून्यता और गष्ट के संसाधनों का असमानतापूर्ण वितरण जैसी स्थितियां आम आदमी के विश्वास को तिरोहित ही करती नजर आती हैं।

सभूती राजनीतिक ऊहपोह और देश की वर्तमान स्थिति के

आंकलन से यह भी ज्ञात होता है कि जिन लोगों के पास धन सत्ता है वा गज सत्ता में है और जो अपने संबंधों के कारण सत्ता तथा नौकरशाही में शिखर पर बैठे लोगों को प्रभावित करने में सक्षम हैं उनका एक वर्ग विकसित हो गया है। इसमें नौकरशाही, राजनीतिज्ञ और धनपति इन तीनों की सांठांग हो गई है। समाजी व्यवस्था का दोहन यही वर्ग कर रहा है। उनके पास सब तरह के साधन हैं और ये ही दिनोंदिन अधिक सुखमय और सुरक्षित हैं। संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भी अब अनेकानेक तरह की सुविधा प्राप्त कर सुरक्षित हो गए हैं। जबकि दूसरी ओर वे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, भूमिहीन हैं तथा आम मजदूरी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनको कोई सुख्ता नहीं है, जबकि वर्तमान जनतांत्रिक व्यवस्था के बीच भागीदार कहलाते हैं। उनकी भागीदारी पांच वर्ष में बोट देने तक ही सीमित है। संक्षेप में ये दो स्पष्ट वर्ग हैं हम और वे। इसमें पहला अमुखियत और सुविधाहीन जनसंग्रहाय सबसे अधिक घाटे में है। इसे हम गांधी के आदर्शों की व्यवस्था नहीं कह सकते। गांधी और सुविधाओं से वंचित तबके की कोई आवाज भी नहीं है। इसलिए यह गांधीवादी भारत की परछाई भी नहीं है। ले-देकर हमारी वह व्यवस्था राजनीतिज्ञ, नौकरशाही और धनाध्यों की चरागह बनकर रह गई है और ऐसी व्यवस्था को बरकरार रखने में उनका अपना हित निश्चित है। बास्तव में ये न्यस्तहित ही इसकी गाड़ी खींच रहे हैं।

एक जनतंत्रीय व्यवस्था के सफल संचालन और स्थाई बनाने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जनप्रतिनिधि अपनी दोषता और समाज में उनके योगदान के आधार पर चुने जाएं तथा वे जनप्रतिनिधि भी जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहें। इसी प्रकार नौकरशाही में व्यक्ति की योग्यता ही उसकी नियुक्ति तथा प्रमोशन का आधार होना चाहिए। उसका कार्य राजनीतिकों और भूमिकों के समझ निर्भीकता, निष्पत्ता तथा जनहित में अपनी राय देनी चाहिए। क्या हमारी नौकरशाही इस कर्तव्य का निर्वाह कर रही है? व्यवस्था के संचालन पर यदि दृष्टि डाल कर देखें तो यही ज्ञात होगा कि नौकरशाही की भूमिका ऐसी नहीं रही है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। वह स्वयं इसी प्राट व्यवस्था की भागीदार बन गई है। वह ले

देकर राजनीतिकों की जमात के साथ अपने न्यस्त हितों के लक्षण समर्पण की स्थिति में आ गई है। उनकी अपनी स्वतंत्र भूमिका समाज ही गई है। इस जमात का भी राजनीतिक पथ हो गया है। व्यवस्था के संचालन में इनकी भूमिका और कार्यशैली को देखते हुए जन सामान्य का इसमें विश्वास नहीं रहा तो कोई आश्चर्य को बात नहीं है।

जहाँ तक जन-प्रतिनिधियों का प्रश्न है उनका स्वार्थपूर्ण भूमिका के कारण ही जन साक्षात् में इस जमात की साख ढल गई है। इनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना और चुनाव में हुए खर्च की भरपाई करना तथा आने वाले चुनाव पर नजर रखने के सिला कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं रह गया है। इस मानसिकता के बलते जन सुरोकर के प्रश्न गौण हो गए हैं। जाति, संप्रदाय, परिवार और स्वाहित की पूर्ति के दुष्क्र में फ़सा आज का राजनीतिक आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी देने में असमर्प्य और असहाय है। यह कैसी हस्त्याक्षय स्थिति है कि जहाँ गांव के लोगों के लिए योने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। बालकों के लिए स्कूल की छत नहीं है, उस देश के जनप्रतिनिधि अपने वेतन, भते, टेलीफोन और यात्राओं में रियायतें बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करते। वे पेशनधारी हो गए हैं सिर्फ पांच वर्ष के लिए चुनाव जीतकर। एक स्वस्थ जनतंत्र में जन प्रतिनिधियों को अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के लिए पचास वर्ष आगे के सोच की आवश्यकता है। वर्तमान पर दृष्टि डाल कर देखें तो यही कहना होगा कि हमारे देश में चुने गए जनप्रतिनिधियों में इस सोच का सर्वथा अभाव है। उनकी कार्य सूची और सोच में वंचितो-शोषितों और साधनहीन जनसमुदाय के भविष्य की कोई तस्वीर ही नहीं है। केवल वे लोग ही उनकी सूची में हैं जो पहले से ही एक निश्चित आय, संघर्ष या जीवन निर्वाह का स्थाई जरिया रखते हैं।

प्रजातंत्रीय व्यवस्था मात्र चुनावी व्यवस्था ही नहीं है नियमित चुनाव तो इस शासन प्रणाली का मूल माध्यम है। इसका लक्ष्य है—सुविधा सुखाय। देश में हर एक नागरिक को यह एक्सास हो कि वह भी एक वृहद-जनतंत्रीय समाज का अंग है और उसे इसका नागरिक होने का गर्व है।